

as the officers who may register motor vehicles referred to in the said sub-section, namely :—

- (i) The Officers Commanding of Units of the Army of and above the rank of Major;
- (ii) The Officers Commanding of Units of the Navy of and above the rank of Lieutenant Commander;
- (iii) The Officers Commanding of Units of the Air Force of and above the rank of Squadron Leader.

2. The Authorities specified above may grant Certificate of fitness in respect of transport vehicles.

3. This notification shall come into force on the first day of July, 1989.

[File No. RT-11014/3/89-TAG]

का. अ. 425(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) को धारा 112 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट गति को उन मोटर यानों के वर्ग की वास्तविकतम गति के रूप में निश्चित करती है जो उसके स्तंभ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

सारणी

यान का वर्ग	प्रति बंटा अधिकतम गति, किलोमीटर में
(1)	(2)

- (1) यदि यान के सभी पहियों में पैन्युमेटिक टायर लगे हुए हैं और यान ट्रेलर को नहीं खींच रहा है तो :—
  - (क) यदि यान परिवहन यान से भिन्न कोई सीमा नहीं हल्का मोटर यान है;
  - (ख) यदि यान हल्का मोटर यान और परिवहन यान है। 65
  - (ग) यदि यान मोटर साइकिल है 50
  - (घ) यदि यान मध्यम या भारी यात्री मोटर यान है 65
  - (ङ) यदि यान मध्यम यान भारी माल यान है 65
- (2) यदि यान में कोई संलग्न यान है जिसके सभी पहियों में पैन्युमेटिक टायर लगे हुए हैं और जो भारी माल यान या भारी यात्री मोटर यान है 50

(1)

(2)

(3) यदि यान अधिक से अधिक एक ट्रेलर खींच रहा है, या आन्व्य शास्त्रागार संबंधी उपस्कर को दशा में दो ट्रेलरों से अधिक नहीं खींच रहा है और उस यान और ट्रेलर के सभी पहियों में पैन्युमेटिक टायर लगे हैं तो—

(क) यदि यान हल्का मोटर यान है और ट्रेलर दो पहिये वाला है और उसका सकल यान वजन 800 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है। 60

(ख) यदि यान हल्का मोटर यान है और ट्रेलर, के दो से अधिक पहिये हैं या उसका सकल यान वजन 850 कि. ग्रा. से अधिक है 50

(ग) यदि यान मध्यम माल यान या मध्यम यात्री मोटर यान है 50

(घ) यदि यान भारी माल यान या भारी यात्री मोटर यान है 40

(ङ) यदि यान भारी माल यान या अग्नि शमक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला भारी यात्री मोटर यान है 50

(4) कोई अन्य मामला जो प्रविष्टि 1, 2 या 3 के अन्तर्गत नहीं आता है। 30

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1989 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. अ. अ. टी 11014/3/89-टीएजी]

S.O. 425(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 112 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); the Central Government hereby fixes the speed specified in column (2) of the Table below as the maximum speed in respect of the class of motor vehicles specified in the corresponding entry in column (1) thereof.



TABLE

TABLE		(1)	(2)
Class of vehicles	Maximum speed per hour in kilometres		
(1)	(2)		
(1) If all the wheels of the vehicle are fitted with pneumatic tyres and the vehicle is not drawing a trailer :—		(b) If the vehicle is a light motor vehicle and the trailer has more than two wheels or a gross vehicle weight exceeding 800 kilograms.	50
(a) if the vehicle is a light motor vehicle, other than a transport vehicle;	No limit	(c) if the vehicle is a medium goods vehicle or medium passenger motor vehicle.	50
(b) if the vehicle is a light motor vehicle and a transport vehicles ;	65	(d) if the vehicle is a heavy goods vehicle or heavy passenger motor vehicle	40
(c) if the vehicle is a motor cycle	50	(e) if the vehicle is a heavy goods vehicle or heavy passenger motor vehicle used the fire brigade	50
(d) if the vehicle is a medium or heavy passenger motor vehicle	65	(4) Any other case not covered by entry (1), (2) or (3)	30
(e) if the vehicle is a medium or heavy goods vehicle	65		
(2) If the vehicle is an articulated vehicle, all the wheels of which are fitted with pneumatic tyres, which is a heavy goods vehicle or heavy passenger motor vehicle.	50		
(3) If the vehicle is drawing not more than one trailer, or in the case of artillery equipment, not more than two trailers and all the wheels of that vehicle and the trailers are fitted with pneumatic tyres—			
(a) if the vehicle is a light motor vehicle and the trailer being two-wheeled has a gross vehicle weight not exceeding 800 Kgs.	60		

2. This notification shall come into force on the first day of July, 1989.

[File No. RT-11014/3/89-TAG]

#### अधिसूचना

का.आ 426(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उपधारा (1) के तमाम परस्त्वक के उपखंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तैयहन और परिवहन मंत्रालय की तारीख 17 जनवरी, 1983 की अधिसूचना सं. का.आ.16(ड) को अधिकांत करते हुए, उक्त खंड में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र का, जो उस प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया था जिसने परमिट दिया था, प्रकृष विनिर्दिष्ट करती है।

#### प्रमाणपत्र का प्रकृष

यह प्रमाणित किया जाता है कि मोटर यान संख्यांक तारीख— से— तक की अवधि के लिए रखा प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।



यह यान मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66(1) के उपबंधों से छूट प्राप्त है।

मुद्रा	प्रादेशिक परिवहन अधि.
स्वान-----	-----प्रदेश
तारीख-----	-----राज्य

2. यह आधसूचना 1 जुलाई, 1989 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. आर टी-11014/3/89-टीएजी]  
बी. आर. चव्हाण, संयुक्त सचिव

S.O. 426(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of the third proviso to sub-section (1) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. S.O. 16(B) dated the 17th January, 1983, the Central Government hereby specifies, the form of certificate referred to in the said clauses, issued by the

Regional Transport Authority which granted the permit.

#### FORM OF CERTIFICATE

This is to certify that Motor Vehicle No. .... is being used for the purpose of defence for the period with effect from ..... to .....

This vehicle is exempted from the provisions of section 66(1) of Motor Vehicles Act, 1988.

SEAL	Regional Transport officer
Place-----	-----Region
Date-----	-----State

2. This notification shall come into force on the first day of July, 1989.

[F.No. RT-11014/3/89-TAG]  
B. R. CHAVAN, Jt. Secy.